कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)पिन-497001

क्र. / 2810 / स्था. / मबावि / 2025–26 अम्बिकापुर दिनांक–10/03/2026

/ / विज्ञापन / /

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women)के संचालन हेतु रिक्त संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिले मे जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हेतु जिले मे रिक्त 02 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक–25 / 03 / 2026 है, विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	जेन्डर विशेषज्ञ	0	01	01	8	25780
2	आई0टी0 असिस्टेंट	01	0	01	7	20900
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	01	0	01	4	14200

3 वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण–

3.1 इन कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/ भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

3.2 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

4. **चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तेः**–भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश मे चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तो का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:–

Scanned with OKEN Scanner

4.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः–

क	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य / अन्य सामाजिक क्षेत्रों मे स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यो का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	आई0टी0 असिस्टेंट	कम्प्यूटर / आई.टी. क्षेत्र में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधन / प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट मे कार्य करने का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य / आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. आफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधन / प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट मे कार्य करने का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर मे कार्य करने का अनुभव।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

4.2 आयु सीमा–

- जेण्डर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध मे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आई0टी0 असिस्टेंट एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इस पद हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी। किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4.3 जेण्डर विशेषज्ञ एवं आई0टी0 असिस्टेंट पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इस पद हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

4.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

4.6 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

4.7 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अर्द्धशासकीय एवं गैरशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु वेतन पर्ची (पे स्लीप)/बैंक स्टेटमेंट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अनुभव मान्य नहीं किया जायेगा।

4.8 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

4.9 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।

4.10 शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

4.11 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रृटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

4.12 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

4.13 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4.14 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आंमत्रित किये जायेगे तथा अंकिय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुये वॉक–इन–इन्टरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक ना मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमती के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

4.15 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

4.16 कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमो का पालन करने बाध्य होगें।

5. **नियुक्ति प्रकिया:– जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र HUB (DHEW) हेतु स्वीकृत पदों के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होगें।**

5.1 **आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–**

5.1.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

5.1.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।

5.1.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

5.1.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

5.1.5 जेण्डर विशेषज्ञ पद हेतु साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

5.1.6 आई0टी0 असिस्टेट एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद हेतु 10 अंक का साक्षात्कार एवं 10 अंक कौशल परीक्षा लिया जायेग।

5.1.7 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

5.1 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकिय प्रणाली के आधार पर कमांक 5.1 के उप कंडिका 5.1.1, 5.1.2 एवं 5.1.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुये चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेसियो में वॉक–इन–इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदको को आमंत्रित किया जाएगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

6. **नियुक्ति की अवधि:–**

6.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

6.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

6.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

टीपः—

1. राज्य शासन के नियुक्ति संबंधी समस्त निर्देशों/आरक्षण नियम का पालन करते हुए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही जिला चयन समिति द्वारा की जावेगी ।
2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के उपरांत के अनुभव प्रमाण पत्र को गणना में शामिल किया जायेगा।
3. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची (पे—स्लीप)/बैंक स्टेटमेंट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. दावा—आपत्ति के साथ कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।
5. आवेदन पत्र दिनांक—25/03/2026 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सरगुजा (छ.ग.) मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जावेगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।

(विज्ञापन चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला—सरगुजा(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....दूरभाष/मोबाईल...................................
   ई–मेल आईडी..
6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :– वर्ष ....माह..........................दिन......................
8. लिंग/पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.ज./अ.पि.व./सामान्य) जाति ....वर्ग...................................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन संस्था में सेवारत है ?...................................
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक हस्ता0 ....

Scanned with OKEN Scanner

14. अन्य योग्यता का विवरण :–...

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–...

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 8वीं/10वीं की अंकसूची/प्रमाणपत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं वेतन पर्ची(पे–स्लीप)/बैंक स्टेटमेंट की प्रति
7. मूल निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
9. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि

17. अन्य संलग्नों का विवरण

1. ....
2. ....
3. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

<u>घोषणा – पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान – ....

दिनांक – ....

Scanned with OKEN Scanner